उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-86/2017/4057/पांच-8-2017-जी0(258)/2017

लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म0(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 अनामिका सिंह चौहान की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा के अधीन की गयी। तत्समय डा0 अनामिका सिंह चौहान पी0जी0 अध्यनरत थी, जिसके कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी थी।

2- अत: सम्यक विचारोपरान्त डा0 अनामिका सिंह चौहान, चिकित्साधिकारी(डी0जी0ओ0) की मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा के अधीन की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूं के अधीन इस शर्त के साथ तैनात किया जाता है कि इनकी सेवायें कार्यभार ग्रहणकरने की तिथि से आगणित की जायेगी।

3- डा0 अनामिका सिंह चौहान, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल दिनांक 12-11-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-09-2012 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

जवाहर लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या-86/2017/4057(1)/पांच-8-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानुपर/बरेली मण्डल।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7- मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा/बदायूं।

8- कोषाधिकारी, इटावा/बदायूं ।

9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।